

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक C/346 /

जबलपुर, दिनांक ०८ / फरवरी, 2022

श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के द्वारा दिनांक 17.12.2021 से दिनांक 29.12.2021 तक 13 दिन के मेडीकल अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत लगातार बिना सूचना/आवेदन पत्र के कर्तव्य से अनाधिकृतरूप से अनुपस्थित रहने के कारण आगामी आदेश तक वेतन का भुगतान रोका जाता है।

सही/-

( प्रियदर्शन शर्मा )

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/347,

जबलपुर, दिनांक ०८ / फरवरी, 2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे.), लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकाल/वेतनपत्रक), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
5. श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा, नवगठित के सदस्य, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
( प्रियदर्शनि शर्मा )  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)